राजस्थान – सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 17/24 प्रा०पत्र

1– श्री [illegible] s/o श्री भोड़ा जाट निवासी– नाहरगढ़ तहसील– माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री डालु s/o श्री मगना जाट निवासी– केरियाखेड़ा उर्फ अर्जुनपुरा तहसील– माण्डल (ग्राम) (हस्ताक्षरित प्रपत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 07-05-24

:आदेश:

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केरियाखेड़ा पटवार हल्का चैनपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न0 1984/1585 कुल किता 01 रकबा 0.7461 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.02.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की कार्यवाही से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:आदेश:

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम केरियाखेड़ा उर्फ अर्जुनपुरा पटवार हल्का चैनपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न. 1984/1585 कुल किता 01 रकबा 0.7461 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक लेसवा को पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु [illegible] जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में [illegible] की 500 रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर [illegible] [illegible] जावें। फसल खड़ी होने पर की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार [illegible] पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.05.08 12:44:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

राजस्थान –सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

कदमा संख्या – 17/24 प्रार्थनापत्र

– श्री भेरूलाल s/o श्री मोड़ा जाट निवासी – नाहरगढ़ तहसील – माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

– श्री डालु s/o श्री मगना जाट निवासी – केरियाखेड़ा उर्फ अरणेपुरा तहसील – माण्डल (कोटा) (संशोधित प्रार्थनापत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 07-05-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केरियाखेड़ा..........पटवार हल्का चंगेड़ी.......तहसील माण्डल मे उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 1984/1585......कुल किता 01 ......रकबा 0.7461......हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 02-02-24 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण का अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम केरियाखेड़ा उर्फ अरणेपुरा पटवार हल्का चंगेड़ी......तहसील माण्डल मे उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1984/1585......कुल किता 01 ......रकबा 0.7461 हेक्टेयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक लेसवा को 500 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर ........ की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.05.08 12:44:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल